LOK SABHA

Tuesday, August 2, 1977|Sravana 11, 1899 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चौधरी बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन आवर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

चौधरी बलबीर सिंह : आप मुने बगैर कह देंगे । यह क्वेश्चन गलत छपा है ।

MR. SPEAKER: Originally there was a mistake in the question which has been corrected.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : गलती की माफ़ी चाहिये ।

MR. SPEAKER: Office says the correction slip has been given to every Member. Moreover, this question would again be debated in a two-hour debate. Therefore, I do not propose to allow many supplementaries.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

*725. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 557 व्यक्ति हैं । उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

पदों की कोटि	अनुसूचित जातियों के व्यक्ति	अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति	योग
ग्रुप क (वर्ग 1)	32	2	34
ग्रुप ख (वर्ग 2)	42	6	48
ग्रुप ग (वर्ग 3)	218	45	263
ग्रुप घ (वर्ग 4)	180	32	212
योग :	472	85	557

(ख) हम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विहित आदर्श रोस्टरों के अनुसार सभी सेवाओं/ग्रुपों में रिक्त स्थानों के आरक्षण के लिए उक्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पूरी सतर्कता से अनुसरण कर रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि विभिन्न श्रेणियों में टोटल कर्मचारी कितने हैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य विभाग में, और जो रोस्टर है उसके मुताबिक विभिन्न श्रेणी के पदों पर कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारी होने चाहियें ?

श्री शान्ति भूषण : कुल डिपार्टमेंट में जिसमें से जस्टिस डिपार्टमेंट जो है क्योंकि होम मिनिस्ट्री से उसका ताल्लुक है और होम मिनिस्ट्री के ही कर्मचारी जस्टिस विभाग में काम करते हैं तो जस्टिस डिपार्टमेंट में कोई अलग से हमारे यहां नहीं होते हैं, बाकी जो तीन डिपार्टमेंट्स हैं—लीगल अफ़ेयर्स, लेजिस्लेटिव और कम्पनी अफ़ेयर्स—उनकी संख्या है । कुल जो सैंक्शन्ड पोस्ट्स थीं 3,579 उसमें से जो संख्या भरी हुई हैं वह 3,312 है जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट्स के 472 हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 85 हैं । इनका परसेंटेज शेड्यूल्ड कास्ट्स का जो आरक्षण किया गया है 15 परसेंट उसके अगेन्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स का साढ़े 14 परसेंट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का साढ़े 7 परसेंट जो रिज़र्व्ड कोटा है उसके अगेन्स्ट ढाई परसेंट है ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न है यह तो आपने सब पद मिला दिये, हमने पूछा था कि विभिन्न श्रेणी के पदों पर उनका क्या परसेंटेज है और टोटल क्या हैं ?

श्री शान्ति भूषण : वर्ग के अनुसार क्लास 1 में 401 कुल सैंक्शन्ड पोस्ट्स हैं जिसमें से 349 भरी हुई हैं । उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के 32 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 2 हैं । परसेंटेज हुआ 9.17 परसेंट, यानी 9 फ़ीसदी से थोड़ा सा ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट्स का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा । क्लास 2 को सिर्फ परसेंटेज बता दूं साढ़े 8 परसेंट से कुछ ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट्स का और सवा परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का । क्लास 3 में साढ़े 12 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स का और ढाई परसेंट से कुछ ऊपर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का । और क्लास 4 में 24 परसेंट से ऊपर शेड्यूल्ड कास्ट्स का और 4.3 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो कोटा है, उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि अभी तक कितनी रिज़र्व्ड पोस्टों को डि-रिज़र्व्ड किया गया है ?

श्री शान्ति भूषण : 24 मार्च, 1977 से जब से नई सरकार का गठन हुआ है, हम इस दिशा में बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं । माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि 24 मार्च, से 24 जुलाई तक के 4 महीनों में इस प्रशासन के कार्यकाल में क्लास-1 के पदों पर 9 आदमियों को एप्वाइंट किया गया है, जिनमें से 2 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये गये हैं यानी 22 परसेंट । 15 परसेंट के अगेन्स्ट 22 परसेंट का रिक्रूटमेंट क्लास-1

में किया गया है। शिकायत यह होती है कि नीचे के पदों पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ले लिया जाता हैं और क्लास-1 तथा क्लास-2 में नहीं लिया जाता। इसी तरह से क्लास-2 के 14 स्थानों में से 3 शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये गये हैं यानी इसमें भी 21 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स के हैं। क्लास-I और क्लास-II में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं मिल सके, इसलिये नियुक्तियां उनकी नहीं हो सकी हैं। कोशिश पूरी है कि उनको भी लिया जा सके। लेकिन क्लास-III में जो कि क्लैरिकल पोस्टें हैं, उनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मिले हैं। इसी अवधि में 69 स्थानों में से 9 शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोग लिये गये हैं यानी 13 परसेंट जो कि साढ़े सात परसेंट के अगेन्स्ट हैं।

SHRI B. RACHAIAH: The hon. Minister has given the figures of appointments made after the Janata Government has assumed office and has mentioned that according to the number of vacancies that have been filled, the quota of 15 per cent in favour of the Scheduled Castes has been exceeded. This is not the correct procedure to calculate the percentage. In Class. I, at the all-India level they have to give the figures from the date the reservation order came into being. Therefore, we would like to know what was the backlog in all these categories from the date when the directive was issued to this department by the Ministry of Home Affairs for making reservation in favour of the Schedule Castes and Scheduled Tribes. That will give the correct picture.

SHRI SHANTI BHUSHAN: As I said earlier, in all there are 3,312 employees, out of which the number of scheduled castes people is 472, i.e. 14.5 per cent, which is only a little less than 15 per cent reserved for scheduled castes. Because of the shortage, effort is going on to recruit them in a higher percentage. That is why, as I said, in Class I, out of nine appointments made after 24th March, we have made recruitment of two persons from the scheduled castes, which is 22 per cent. So, the effort is to bring it up to 15 per cent, which is the prescribed quota.

SHRI L. K. DOLEY: In view of the outstanding backlog in respect of Scheduled Castes and Tribes and because of its enormous nature, what effective steps the Government is going to take to remove this back and in what period?

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as the Scheduled Tribes are concerned, there has been difficulty in getting qualified persons for various posts. For instance in Company Affairs Department, there are posts which require a candidate to be Chartered Accountant, etc. If Chartered Accountants from among the Scheduled Tribe candidates are not available, then it becomes difficult to fill the quota of those posts. We are taking various steps to fill up the reserved posts. Various posts have been advertised for recruitment from among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons. We keep on writing to the Public Service Commission and the Public Service Commission is also taking steps. They have already advertised certain vacancies for these people. So, full attention is being paid and, therefore, we hope to fill up the quota to a fairly substantial extent.

श्री केशव राव धोंड़गे : सदर साहब, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा आप सर्विसेज में तो नहीं पूरी कर पाये तो उसको पूरा करने के लिए जो बैकलाग रहा है, मिनिस्ट्री में क्या शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लेकर मुकर्रर करने वाले हैं और बैकलाग भर कर इनको इन्साफ देने वाले हैं ?

श्री शांति भूषण : मिनिस्ट्री में तो कोई रिजर्वेशन का कोटा है नहीं। जहां तक सर्विसेस में है तो जैसा मैंने बतलाया कि जरुर बैकलाग है। ओवरआल तो बैकलाग बहुत नहीं है क्योंकि मेरे अपने विभाग में 15 परसेंट के रिजर्वेशन के अगेंस्ट साढ़े 14

परसेंट-ग्रोवर-म्राल है। . . . (व्यवधान) . शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिला कर यह हो जाता है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में कुछ विशेष परेशानियां हैं।

श्री सूरज भान : यह क्लास फोर को मिलाकर होता है, क्लास वन ग्रौर क्लास टू में नहीं है।

श्री शांति भूषण : मैंने कहा कि ग्रोवर-म्राल ज्यादा बैकलाग नहीं है। लेकिन कुछ वर्गों में जरूर बैकलाग है ग्रौर उनमें उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने कहा पिछले चार महीने में जो क्लास वन ग्रौर क्लास टू का रेक्रूटमेंट किया गया है उसमें वह कोटे से कहीं ज्यादा 22 ग्रौर 21 परसेंट किया है। ग्रगर इसी तरह से हमारी कोशिश कामयाब होती रही तो हम समझते हैं कि क्लास वन ग्रौर क्लास टू में भी हम कोटा पूरा कर लेंगे।

शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कुछ परेशानी है क्योंकि जो योग्यता क्लास वन ग्रौर क्लास टू के लिए निर्धारित है उस योग्यता के नहीं मिलते हैं तो हमें परेशानी होती है।

MR. SPEAKER: I am going to allow two hours discussion and in that discussion mainly the Scheduled Castes and Scheduled Tribe Members and those who have not hitherto got any opportunity would participate.

SHRI A. BALA PAJANOR: You have allowed a 2-hour discussion on this. But here we want to get information from the hon. Minister. We cannot get this information later on.

Payment of Income Tax Arrears by I.O.C. and other Concerns

+

*726. SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:

SHRI PRADYUMNA BAL:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the amount of income-tax arrears outstanding against the Indian Oil Corporation and other bodies under the administrative control of his Ministry;

(b) the period since when this amount is due and the reasons for non-payment; and

(c) efforts made to see that the payment of income-tax arrears is made immediately by these concerns?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). Certain income-tax demands against taken over Undertakings relating to the period when these were in the private sector, have not yet been paid on account of stays granted by Courts/Tax Authorities, or finalisation of assessments. Details of companies and amounts are given in the statement laid on the Table of the House. In addition, there is a demand of Rs. 18.76 lakhs against Balmer Lawrie & Co. for the year 1973-74 which has not been paid pending finalisation of assessment of 1972-73.

Other Undertakings including Indian Oil Corporation Limited have reported that no amount of income-tax arrears are outstanding against them.